

न्यायालय तत्पुत्रीलकार कलूमर (अलवर) राज्

सरकार जारिचे रिपोर्ट पटवारी हल्का डिकका वनाम कुन्दन अशय, सुनील पिठ नव्ही
प्रकरण अन्तगत प्राप्त 31 एलवस फुट

निर्णय दिनांक :- 29/3/19

प्रकरण संख्या :- RA/74

शेडली नई रैला

प्रस्तावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि राम
की शपथ नं. 151 पुल रकबा 0-19 किया जावन 1050 नं सं 0-01
रकबा घर की कुन्दन अशय, सुनील पिठ अमाशिकुम संघ से अतिक्रमण कर
व्युत्पत्ती काबा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का डिकका द्वारा दिनांक
27/8/18 को लखके विरुद्ध याचनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव
भू.अ.निरी. द्वारा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण वर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रम कुन्दन अशय, सुनील पिठ जाट निवासी शेडली नई को भू.
राजस्य अधिनियम 1956 की धारा 31 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
करवाई गई। नोटिस वाद तामील प्राप्त होने पर शानित प्रस्तावली किया गया। अतिक्रमी

उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शानित प्रस्तावली है।
उपस्थित नही नही

रकबा किरान मुंशमशान को निगमन के रूप में है मिहाजा औरसतयम का अतिक्रमण
रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश दिए जाने में पर उपर स्वरूप जमान 6/10/8 का
50 गुणा 31 रकबा पैनहटी आरोपित की जाती है मांचा कायमी हेतु डीआरए को लिखा
जाते, पैनहटी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी Three भू.अ.निरी.
को लिखा जाकर वाद तकगील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

कलूमर (अलवर) राज्

अतिरिक्त :- प. 8

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जारिये रिपोर्ट पटवारी हल्का डि.रि.का...... बनाम बूपतडी.० गी.लाराम जाट.....

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या - 65/2018

निर्णय दिनांक :- 26/3/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेडलीरफ रोला की आ.ख.न. 161 कुल रकवा ०-19 किस्म जमीन नी.रु.प. में से ०-०1 रकवे पर श्री बूपतडी.० गी.लाराम जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर दूसा/तमडी कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का डि.रि.का. द्वारा दिनांक 5/11/18 को उसके अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दारीडा क द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी बूपतडी.० गी.लाराम जाट निवासी खेडलीरफ रोला को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 क तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकवा आ.ख.न. 161 रकवा ०-19 में से ०-०1 रकवे किस्म नी.रु.प. है जो नियमन के योग्य नहीं है बिहाजा होरसायम को आतिक्रमित रकवे से वेदखल किया जाने के आदेश दिशे जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paisa का 50 गुणा 31 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी खेडलीरफ रोला भू.अ.निरी. दारीडा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.
 तहसीलदार
 कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- फ. ह. को पालनार्थ
 वरमावधी जमल पेश हो.